एनएचबी(एनडी)/आरओडी/पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 14/2024-25
दिनांक : 02-04-2025

सभी आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

'प्लॉट+ निर्माण' ऋण और 'निर्माण से जुड़े' ऋण हेतु पुनर्वित्त

राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त कंपनियों द्वारा वैयक्तिकों को दिए गए आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है।

इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे मामलों में जहां आवास वित्त कंपनियां चल रहे निर्माण कार्य के लिए वैयक्तिकों को ऋण प्रदान करती हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त केवल उन ऋणों के संबंध में उपलब्ध होगा जहां आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के समय निर्माण का आधा से अधिक कार्य पूरा नहीं हुआ हो।

प्रथम किश्त के वितरण के समय तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से निर्माण के चरण का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह शर्त ‘प्लॉट+निर्माण' हेतु दिए गए ऋण के साथ-साथ स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि पर किए गए निर्माण पर भी लागू होगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए पुनर्वित्त के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

तदनुसार, आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय आवास बैंक पुनर्वित्त के लिए केवल पात्र ऋण खातों को चिह्नित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह/-
एस के पाढ़ी
महाप्रबंधक